न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–80/2022/प्रार्थना पत्र/बउनवान/हेमराज वगै0 बनाम शम्भुदयाल वगै0
जीसीएमएस संख्या 2017/00013

1. हेमराज पुत्र श्री मोती बाल जाति माली निवासी राजुरा बारां
2. हंसराज पुत्र श्री मोती लाल जाति माली निवासी बारां जिला बारां
3. गौरी लाल पुत्र श्री मोती लाल जाति निवासी बारां जिला बारां

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भूदयाल पुत्र श्री देवीशंकर जाति कलाल निवासी मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां(राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 111, 128, व 131 एल.आर.एक्ट. वास्ते नक्शा दुरूस्ती

वकील प्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 11.10.2022 निर्णय दिनांक : 25.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0. 1 की शामलाती भूमि ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में नया खाता संख्या 1094 की खसरा नं0. 4391 की 3.37 है0, 4393 की 0.69 है0, 4394 की 0.32 है0, 4395 की 0.13 है0, 4570 की 0.03 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 4.54 है0, भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/6, 1/6, 1/6 यानि कुल 1/2 बतौर खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।
2. यह कि मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044 से 2063 में हाल खसरा नं0. 4391, 4393, 4394, 4395 तथा 4570 के साबिक खसरा नं0. 2582 मिन रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।
3. यह कि मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044 से 2063 में जो साबिक खसरा नं0. 2582 दर्शाये गये है उसी के मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उक्त भूमियां हाल खसरा नं0. में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम नं0. 1 के नाम दर्ज हुई है।
4. यह कि उपर्युक्त भूमिया जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है वह इंतकाल नं0. 3366 दिनांक 29.06.2018 में प्रार्थी क्रम नं0. 1 व नामान्तकरण नं0. 2367 से अप्रार्थी क्रम नं0. 2 व 2368 से अप्रार्थी क्रम नं0. 03 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई है जो इंतकाल इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
5. यह कि उक्त साबिक खसरा नं0. 2582 नक्शा ट्रेस सम्वत् 2010 से 2017 का जो पूर्वी हिस्सा खोद के रूप में दक्षिणी तरफ दर्शाया गया है वह पूर्वी दक्षिणी हिस्सा वर्तमान नक्शा ट्रेस में जो कि सम्वत् 2082 से 83 में खसरा नं0. 4391 दर्शाया गया है उसकी पूर्वी दिशा एकदम सीधी कर दी और दक्षिणी पूर्वी कोने को जो लगभग 02 बीघा भूमि है उसको समाप्त कर दिया और नक्शा ट्रेस का स्वरूप बदकर छोटा कर दिया जिसका कि राजस्व अधिकारियों एवं सैटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

Scanned by CamScanner

6. यह कि उक्त साबिक खसरा नं0. 2582 सम्वत् 2010 से 2017 का पूर्वी हिस्सा जो नक्शा ट्रेस में पूर्वी–दक्षिणी हिस्से को समाप्त किया है उसको समाप्त करने का कोई कानूनी अधिकार सैटलमेंट अधिकारियों नहीं है तथा नक्शा ट्रेस के स्वरूप को बदलने का कोई कानूनी अधिकार राजस्व अधिकारियों को बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार जो नक्शा ट्रेस वर्तमान में छोटा किया है उक्त भूमि में काश्त करने काफी व्यवधान पैदा हो रहा है तथा खसरा नं0. 4391 के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को लेकर समीपवर्ती काश्तकार लडाई–झगडा करने पर आमादा है तथा प्रार्थी उक्त नक्शा ट्रेस के स्वरूप को जो बदला है उसके मुताबिक दुरस्त करवा पाने का अधिकारी हैं, जिसका प्रार्थी अधिकारी तथा नालिशी भी है।
7. यह कि उक्त नक्शा ट्रेस के स्वरूप के बदलने की जानकारी जब समीपवर्ती काश्तकार द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने तथा लडाई–झगडा करने के कारण प्रार्थी द्वारा साबिक नक्शा ट्रेस की नकल दिनांक 16.06.2022 को आवेदन करने के कारण तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस की नकल 21.06.2022 को प्राप्त होने के कारण प्रार्थी को हुई इसलिए प्रार्थी को उक्त नक्शा दुरूस्त करवाने हेतु श्रीमान् के समक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है।
8. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमिया ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान नक्शा ट्रेस खसरा नं0. 4391 ग्राम मांगरोल का स्वरूप साबिक नक्शा ट्रेस 2582 का दक्षिणी पूर्वी कोना जो खोदुनुमा निकला हुआ है उसका उसी स्वरूप में खसरा नं0. 4391 का नक्शा ट्रेस दुरूस्त करने के आदेश अप्रार्थी क्रम नं0. 2 को दिये जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे वह भी दिलवाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 11.10.2022 को दर्ज रजिस्टर जरिये सम्मन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 बावजूद सूचना उपस्थित रहने पर अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। सीलदार मांगरोल के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/4062 दिनांक 22.10.2024 से जवाब कार में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम मांगरोल की आराजी ख0 नं0. 4391 रकबा 3.37 है0, ख0 नं0. 4393 रकबा 0.69 है0, ख0 नं0. 4394 रकबा 0.32 है0, ख0 नं0. 4395 रकबा 0.13 है0, एवं ख0 नं0. 4570 रकबा 0.03 है0, कुल किता 5 रकबा 4.54 है0, भूमि गोरीलाल, हेमराज, हंसराज पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी राजपुरा बारां हिस्सा 1/2 एवं शम्भूदयाल पुत्र देवीशंकर जाति कलाल निवासी मांगरोल हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है।
2. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2024–63 के हाल ख0 नं0. 4391 रकबा 3.37 है0, ख0 नं0. 4393 रकबा 0.69 है0, ख0 नं0. 4394 रकबा 0.32 है0, ख0 नं0. 4395 रकबा 0.13 है0, एवं ख0 नं0. 4570 रकबा 0.03 है0, कुल किता 5 रकबा 4.54 है0, साबिक (गत) खसरा नम्बर 2582 मि. रकबा 26 बीघा 17 विस्वा से सेटलमेंट के दौरान कायम किये गये हैं। सैटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 के अनुसार साबिक (गत) खसरा नम्बर 2582 मि. रकबा 29 बीघा 10 विस्वा भूमि देवीशंकर पुत्र रामचन्द्र वगैराह जाति कलाल निवासी मांगरोल के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी के दक्षिणी–पूर्वी कोने से चम्बल नहर का माईनर निकलने के कारण साबिक (गत) खसरा नम्बर 2582 में से लगभग 02 बीघा रकबा माईनर में चला गया है।
3. मुताबिक राजस्व नक्शा गत सैटलमेंट एवं वर्तमान सैटलमेंट के दौरान बनाये गये उक्त खसरा नम्बर के नक्शे में भिन्नता पाई गई है। वर्तमान नक्शे में हाल खसरा नम्बर

Scanned by CamScanner

4393 की पूर्वी मेड वर्तमान सैटलमेंट के दौरान प्रार्थीगण/अप्रार्थी शम्भूदयाल की भूमि की तरफ दर्ज कर दी गई है, जबकि गत राजस्व नक्शे एवं मौका अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण/अप्रार्थी शम्भूदयाल के कब्जे काश्त की भूमि है। वर्तमान सैटलमेंट के दौरान उक्त मेड का राजस्व नक्शे में गलत अंकन करने के कारण प्रार्थीगण/अप्रार्थी शम्भूदयाल एवं समीपवर्ती ख0 नं0. 4392 के खातेदारान के मध्य विवाद होने की संभावना है।

4. इस प्रकार वर्तमान सैटलमेंट सम्वत् 2044–63 के दौरान बनाये गये राजस्व नक्शे में हाल ख0 नं0. 4393 एवं 4392 की मध्य की मेड को गत साबिक नक्शा के पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार दुरस्त किया जा सकता है, जिससे प्रार्थीगण/अप्रार्थी शम्भूदयाल एवं समीपवर्ती ख0 नं0. 4392 के खातेदारान के मध्य विवाद होने की संभावना नहीं रहेगी।

अतः प्र0 सं0 80/2022 बउनवान हेमराज वगैराह बनाम शम्भूदयाल व राज0 सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट नक्शा दुरस्त किये जाने के संबन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय पटवारी हलका मांगरोल की जॉच रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड/मौका रिपोर्ट श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक राजस्व नक्शा गत सैटलमेंट एवं वर्तमान सैटलमेंट के दौरान बनाये गये उक्त खसरा नम्बर के नक्शे में भिन्नता पाई गई है। वर्तमान नक्शे में हाल खसरा नम्बर 4393 की पूर्वी मेड वर्तमान सैटलमेंट के दौरान प्रार्थीगण/अप्रार्थी शम्भूदयाल की भूमि की तरफ दर्ज कर दी गई है, जबकि गत राजस्व नक्शे एवं मौका अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण/अप्रार्थी शम्भूदयाल के कब्जे काश्त की भूमि है। वर्तमान सैटलमेंट के दौरान उक्त मेड का राजस्व नक्शे में गलत अंकन करने के कारण प्रार्थीगण/अप्रार्थी शम्भूदयाल एवं समीपवर्ती ख0 नं0. 4392 के खातेदारान के मध्य विवाद होने की संभावना है। इस प्रकार वर्तमान सैटलमेंट सम्वत् 2044–63 के दौरान बनाये गये राजस्व नक्शे में हाल ख0 नं0. 4393 एवं 4392 की मध्य की मेड को गत साबिक नक्शा के पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार दुरस्त किया जा सकता है, जिससे प्रार्थीगण/अप्रार्थी शम्भूदयाल एवं समीपवर्ती ख0 नं0. 4392 के खातेदारान के मध्य विवाद होने की संभावना नहीं रहेगी। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते नक्शा दुरूस्ती स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि वर्तमान नक्शा ट्रेस खसरा नं. 4391 वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल का स्वरूप साबिक खसरा ट्रेस 2582 का दक्षिणी पूर्वी कोना जो खोदुनुमा निकला हुआ है उसका उसी स्वरूप में खसरा नं. 4391 का नक्शा ट्रेस दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner